प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 28 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20258/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28-06-2024) दिनांक-08-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, जो 228/152 आर्य नगर, खोयामण्डी के निकट, थाना-नाका हिन्डोला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07.15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल०डी०अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रिमि० केस नं०-03ए/1994, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायाधीश डेजिगनेटेड कोर्ट टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.03.2024 तक अपरिहार 23 वर्ष, 10 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 00 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, बन्दी के ऊपर भारत के अलग-अलग प्रदेशों में कुल-14 मुकदमें है, थाना-नाका का एचएस भी है, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, 14 मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुये जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, समयपूर्व रिहाई होने पर पुनः बन्दी अपराध में संलिप्त होने का अंकन किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07.15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल०डी० अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के रिहा होने पर पुनः अपराध की सम्भावना होने का अकन निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे (बन्दी संख्या-45040) पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-491/2025/1128(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-491/2025/1128/22-2-2024-17(553)/2017

दिनांक: 28 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, जो 228/152 आर्य नगर, खोयामण्डी के निकट, थाना-नाका हिन्डोला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07.15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल०डी०अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रिमि० केस नं०-03ए/1994, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायाधीश डेजिगनेटेड कोर्ट टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.03.2024 तक अपरिहार 23 वर्ष, 10 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 00 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, बन्दी के ऊपर भारत के अलग-अलग प्रदेशों में कुल-14 मुकदमें है, थाना-नाका का एचएस भी है, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, 14 मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुये जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, समयपूर्व रिहाई होने पर पुनः बन्दी अपराध में संलिप्त होने का अंकन किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07.15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल०डी० अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के रिहा होने पर पुनः अपराध की सम्भावना होने का अकन निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in